छत्तीसगढ़ राज्य

के

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग की

कार्य प्रणाली का

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष **2018-19**

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)

छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है। विभाग के वित्तीय-प्रबंधन के लिए लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता/आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी हैं एवं लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के राजस्व की प्राप्ति व भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तरदायित्व का सही रूप से निर्वहन हो, इसके लिए शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ तथा प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। कार्यप्रणाली को और सुगम/उत्कृष्ट बनाने हेतु समय-समय पर आदेश भी जारी किए जाते हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)छत्तीसगढ़,रायपुर द्वारा प्रति वर्ष की भांति लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के कार्यप्रणाली, नियम एवं प्रक्रियाओं के पालन में पाई जाने वाली त्रुटियों/कमियों को राज्य शासन के ध्यान में लाने हेतु वर्ष 2018-19 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

वर्ष 2018-19 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। भाग- एक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित मासिक लेखाओं की जांच के दौरान पाई गई कमियों/त्रुटियों/अनियमितताओं को दर्शाया गया है एवं भाग-दो में लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान उनकी कार्य-प्रणाली से संबंधित परिलक्षित हुई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दर्शाया गया है। लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग की कार्यप्रणाली में नियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करनें में, मासिक लेखा निर्धारित अवधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने तथा अंक मिलान कार्य को नियमानुसार अंतराल में पूर्ण करते रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन अनियमितताओं को दूर करने एवं मासिक लेखा/अन्य जानकारियाँ समय पर प्रस्तुत करने में सहायक होगा । हम इस समीक्षा की अभिवृद्धि के लिए सुझावों/संस्तुतियों का स्वागत करते हैं।

स्थान– रायपुर

दिनांक-

हस्ता/-

(राजीव कुमार)

महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)

छत्तीसगढ़, रायपुर

<u>समीक्षा का संक्षिप्त विवरण</u>

प्रस्तुत समीक्षा में छत्तीसगढ़ के **36** लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी संभाग सम्मिलित हैं, जो महालेखाकार(लेखा एवं हक़दारी)को मासिक लेखा प्रेषित करते हैं । मासिक लेखाओं के संकलन के दौरान जो अशुद्धियां पाई गई हैं,उन्हें क्रमवार इस समीक्षा पुस्तक में विस्तार से दर्शाया गया है । दिनांक **31.03.201**9 की स्थिति में समीक्षा में सम्मिलित कुछ अशुद्धियों/आपत्तियों का सार निम्न है–

1. विविध लोक निर्माण अग्रिम मद में राशि ₹ **25.52** करोड़ समायोजन हेतु लंबित है, जिसकी संभागवार जानकारी **Annexure A** में दर्शाई गई है । इन अग्रिमों के समायोजन हेतु संभागों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2. सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखे में राशि ₹ **9.55** करोड़ लंबित है, जिसे सामग्री के सप्लायर्स को भुगतान किया जाना है । उक्त शीर्ष के अन्तर्गत लंबित राशि के भुगतान हेतु संभागों द्वारा ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है (संभागवार सूची को Annexure-B में दर्शाया गया है)।

3.निर्माण लेखा प्रेषण शीर्ष में निवल राशि ₹ **103.21** करोड़ (जिसमें लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग भी शामिल हैं) समायोजन हेतु लंबित है। यह राशि मुख्यतः संभागों/कोषालयों द्वारा चालानों/धनादेशों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण असमायोजित रही है।

वर्ष 2018-19

प्रस्तावना

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग का संरचनात्मक विवरण

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्य का संचालन विभागाध्यक्ष प्रमुख अभियंता छत्तीसगढ़ के कार्यालय से होता है। वर्ष 2018-19 में मुख्यालय स्तर पर प्रशासकीय एवं लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग कार्यपालन अभियंता द्वारा मासिक लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

सामान्य

लेखा का कम्प्यूटरीकरण :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)छत्तीसगढ़,रायपुर को लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी संभागों द्वारा संकलित प्रारूप(मेनुअल)में लेखा प्रस्तुत किया जाता है । प्रत्येक माह लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी संभागों द्वारा प्रेषित संकलित लेखाओं को इस कार्यालय की कम्प्यूटर प्रणाली व्ही. एल. सी. प्रणाली में मेनुअल दर्ज़ किया जाता है । लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी संभागों के लेखों को मेनुअल संधारण किए जाने के कारण अनावश्यक समय प्रयुक्त होता है, जबकि अन्य विभागों के लेखे इस कार्यालय में एन. आई.सी. द्वारा विकसित प्रक्रिया के अनुसार सभी कोषालयों से फरवरी 2010 से डिजिटल डाटा के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। डिजिटल डाटा के द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना एवं वित्तीय आंकड़े प्राप्त करना सुगम है।

अनुशंसा:- छत्तीसगढ़ शासन के अन्य विभागों की तरह लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के लेखांकन कार्य को कम्प्यूटरीकरण किया जावे, जिससे लेखाओं को त्वरित उत्पादित किया जाना सुगम होगा ।

भाग – एक (लेखा)

महालेखाकार(लेखा एवं हक़दारी)कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के संभागों का लेखा एवं कार्यचालन से संबन्धित वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक समीक्षा की गई । इस समीक्षा में संभागों द्वारा भेजे गए मासिक लेखे की कमियों, विविध लोक निर्माण अग्रिमों का असमायोजित रहना, निर्धारित प्रपत्रों में वांछित जानकारी नहीं भेजा जाना, नियमानुसार मासिक लेखा संवरण नहीं किया जाना एवं प्रत्येक माह की दस तारीख की निर्धारित तिथि तक मासिक लेखा प्रेषित न किया जाना इत्यादि के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(1) **प्राप्त आवंटन के अंतर्गत बचत** :-

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग को मांग संख्या **20** के अंतर्गत बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष **201**6-17 से **2018-1**9 तक की अवधि में बजट प्रावधान का सम्पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, फलतः बचत की प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष दृष्टिगोचर हो रही है **:-**

(राशि लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2016-17	**9,951.47**	**8,149.87**	**1,801.60**	**18.10**
2017-18	**50,536.89**	**50,385.92**	**150.97**	**0.30**
2018-19	**67,866.64**	**42,265.05**	**25,601.59**	**37.72**

(2) **प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय** :-

विनियोग विधेयक के अनुसार बजट प्रावधान स्वीकृत होने के पश्चात प्रमुख अभियंता अपने अधीनस्थ मुख्य अभियंताओं को तथा मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ संभागों को बजट प्रावधान सूचित करता है, जिसके अनुसार संभागों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है । इसके अतिरिक्त कतिपय योजनाओं में मूल बजट कम होने की स्थिति में पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन किया जाता है।

विनियोग लेखा के अनुसार वर्ष **201**8-19 में निम्नलिखित योजनाओं में व्यय स्वीकृत आवंटन से अधिक था, जिसकी पूर्ति अनुपूरक बजट में नहीं की गयी । साथ ही इनमें कुछ योजनाएँ ऐसी भी हैं,जिसमें बजट प्रावधान को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजन द्वारा स्थानांतरित किया गया, जो कि आपत्तिजनक है तथा यह कमजोर बजट नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।

(राशि लाख में)

वर्ष	मांग सं.	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक व नाम	निवल बजट(मूल बजट+अनुपूरक बजट +/- पुनर्विनियोजन)	व्यय	आधिक्य

2018-19	20	2215	01-001-2294 निर्देशन	**1353.64 (2056.13-702.49)**	**1427.56**	**73.92**
		2215	01-101-5300 स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजना का संधारण	**777.08 (1664.40-887.32)**	**1030.32**	**253.24**

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि एक ओर तो राशि समर्पित की गयी है तथा दूसरी ओर प्रावधान से अधिक व्यय भी किया गया है, जो कि कमजोर बजट नियंत्रण को प्रदर्शित करता है ।

(3) **<u>विविध लोक निर्माण अग्रिम मद में असमायोजित राशि ₹ 25.52 करोड़</u> :-**

केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता कंडिका **13.4.1** के अनुसार विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत ठेकेदारों को उधार बिक्री, जमा कार्य हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय, नगद की हानि, शासकीय सेवकों से वसूली योग्य राशि एवं ऐसे व्यय, जो किसी मद में वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, सम्मिलित होते हैं । इनकी वसूली संभाग द्वारा किया जाना है। वर्ष **2018-1**9 के अंत तक विविध लोक निर्माण अग्रिम मद में 24 संभागों के अंतर्गत **₹** 25.52 करोड़ समायोजन हेतु लंबित है, जिनमे विशेषकर कोरबा, रायगढ़, कांकेर, बैकुंठपुर, जशपुर, ई/एम डिवीजन बिलासपुर, ई/एम डिवीजन अम्बिकापुर, प्रोजेक्ट डिवीजन-बिलासपुर, बलोदा बाज़ार, बालोद एवं कोंडागांव संभाग के वर्ष 2017-18 की लंबित राशियाँ वर्ष 2018-19 में भी अपरिवर्तित/यथावत है। राशियों की वसूली वर्ष 2018-19 में नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि संभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। **(**संभागों की सूची **Annexure-A** में दर्शायी गयी है)। अतः संभागों को उक्त अग्रिमों के समायोजन की कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश जारी कर समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

(4) **<u>सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखा में बकाया ₹ 9.55 करोड़</u>:-**

सामग्री क्रय उचंत लेखे हेतु शासकीय लेखे में पृथक लेखा शीर्ष **8658-129** का प्रावधान किया गया है। इस लेखा शीर्ष में संभागों द्वारा क्रय अथवा अंतर-संभागीय अंतरण द्वारा प्राप्त की गयी सामग्री, जिसका भुगतान क्रय किए गए माह में नहीं किया गया है, से संबंधित संव्यवहारों को दर्ज़ किया जाता है। इस बाबत संभागों के लेखों के साथ 'प्रपत्र **69'** संलग्न किया जाना चाहिए, जिसमें संभागों में लंबित भुगतान की जानकारी को दर्शाया जाना चाहिए ।

प्रायः कई वर्षों से सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखा में संभागों द्वारा कोई प्रविष्टि नहीं की जाती रही है । संभागों द्वारा इनका समाशोधन लंबित राशियों का भुगतान कर किया जाना है एवं नियमानुसार ऐसी राशियाँ, जिन पर तीन पूर्ण वर्षों से अधिक समय तक दावा न किया गया हो, उन राशियों को राजस्व में क्रेडिट कर समाशोधित करना है । वर्ष **2018-19** के दौरान संभागों द्वारा उपरोक्तानुसार समाशोधन के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी है जो संतोषप्रद नहीं है ।

वर्ष **2018-1**9 के अंत तक संभागों द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार ₹ **9.55** करोड़ इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत लंबित है, जिसकी संभागवार जानकारी **Annexure-B** में दर्शायी गयी है । कृपया इस मद में लंबित राशि के समायोजन हेतु समस्त संभागों को उचित निर्देश जारी किया जावे ।

(5) **<u>प्राप्ति एवं व्यय आंकड़ों के पुनर्मिलान</u>:-**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी प्रमुख अभियंता हैं । लेखांकन प्रक्रिया में पुनर्मिलान एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के पुनर्मिलान हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह दर्ज की जा रही आय एवं व्यय के आंकड़ों की सी.डी. प्रमुख अभियंता को प्रेषित की जाती है । पुनर्मिलान उपरांत प्रमुख अभियंता से मिलान प्रमाण पत्र मय राशि महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाना चाहिए, किन्तु बार-बार स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी प्रमुख अभियंता द्वारा मिलान प्रमाण-पत्र(राशि-सहित)वर्ष **2018-19** के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी), छत्तीसगढ़ को प्रेषित नहीं किया गया। पुनर्मिलान न होने की स्थिति में गलत वर्गीकरण, बिना बजट के व्यय आदि का पता नहीं चलता, अतः प्रमुख अभियंता को प्राप्ति एवं व्यय आंकड़ों के पुनर्मिलान जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए एवं मिलान प्रमाण-पत्र(राशि-सहित)महालेखाकार(लेखा एवं हक़दारी)छत्तीसगढ़ को नियमित रूप से प्रेषित करना चाहिए।

(6) **<u>कर्मकार टैक्स की राशि का छत्तीसगढ़ भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के खाते में नियमित रूप से जमा नहीं किया जाना</u>** :-

संभागों द्वारा निर्माण कार्यों से संबन्धित देयकों से काटी गयी कर्मकार टैक्स की राशि नियमानुसार नियमित रूप से संभागों को छत्तीसगढ़ भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के खाते में जमा करना चाहिए, किन्तु समीक्षा में यह पाया गया है कि काटी गयी राशि संभागों द्वारा अपने पास ही रखी जा रही हैं एवं अनियमित अंतराल पर मण्डल के खाते में जमा की जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है । अतः उक्त राशि संभागों द्वारा मण्डल के खाते में नियमानुसार नियमित रूप से जमा किए जाने हेतु समस्त कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित करें।

(7) **<u>मासिक लेखा विलंब से प्राप्त होना</u>**:-

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की पैरा **22.4.15** के अनुसार संभागों से मासिक लेखा इस कार्यालय में प्रतिमाह **10** तारीख तक प्राप्त हो जाना चाहिए । संभागों से लेखा विलंब से प्राप्त होने के कारण राज्य शासन के लेखा संकलन में विलंब होता है । इस संदर्भ में उल्लेख है कि कोरबा,राजनन्दगाँव, कबीरधाम, कांकेर, बिलासपुर बलौदा बाज़ार एवं बालोद संभाग से पाँच या उस से अधिक माहों में, मासिक लेखा **01** से **12** दिनों तक विलंब से प्राप्त हुये, जिसकी जानकारी को **Annexure-C** में दर्शाया गया है। अतः लेखा नियत तिथि तक भेजने हेतु समस्त कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित करें।

(8) **<u>मासिक लेखों में पाई गई कमियाँ/त्रुटियाँ</u>** :-

प्रतिमाह मासिक लेखे प्रेषित करते समय केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा 22.4.15 में दिये गये अनुसार विभिन्न फार्म लेखे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए । संभाग द्वारा प्रेषित मासिक लेखों में निम्नलिखित कमियाँ बार-बार पाई जाती हैं, किन्तु इनके निराकरण हेतु संभाग द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाती है:-

(i) कतिपय लेखों में पन्नों पर पृष्ठ क्रमांक अंकित नहीं रहता है ।

(ii) फार्म **83** में संलग्न किए गए विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी रहती है, किन्तु इन प्रपत्रों का पृष्ठ क्रमांक के साथ cross referencing नहीं किया जाता है, जिसके कारण लेखाओं की प्रारंभिक जांच करने में असुविधा एवं विलंब होता है।

(iii) लेखों के वर्गीकरण में कई बार त्रुटियाँ रहती हैं । मुख्यतः त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण प्रेषण शीर्ष के चालानों में किया जाता है । इन चालानों में संभागों द्वारा **8782-102** अंकित नहीं रहता है तथा डी.डी.ओ. कोड नहीं दर्शाया जाता है।

(iv) फार्म-**80** में कैश बैलेन्स के पूर्व शेष/अंतशेष की जानकारी दर्शाई जाती है । कतिपय लेखों में पूर्व माह के अंतशेष एवं आगामी माह के प्रारंभिक शेष में अंतर रहता है,जिसके कारण लेखाओं के संकलन में विलंब होता है ।

(v) कतिपय लेखों के फार्म **80** में प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों में अंतर रहता है ।

(vi) फार्म **74,** जिसमें मुख्य शीर्ष/योजना शीर्षवार संकलन व्यय दर्शाया जाता है, के आंकड़ें फार्म **64** से मेल होने चाहिए । कतिपय लेखा में इन दोनों प्रपत्रों के आकड़ों में अंतर रहता है ।

(vii) कतिपय लेखों के साथ प्राप्तियों का विवरण (Form-**46-**A)संलग्न नहीं किया जाता है ।

(viii) Form-80 में दर्शाया गया प्रेषण शीर्ष की राशियों के तिथिवार विवरण (प्रपत्र-**77**)संलग्न नहीं किया जाता है, जिसके कारण कोषालय से प्राप्त प्रेषण शीर्ष को सहायक पंजी से मिलान करने में असुविधा होती है ।

(ix) देयकों से काटी गयी कर की राशि विभिन्न संभागों द्वारा विविध जमा में बताई जाती है,जिससे यह पता नहीं चलता कि यह राशि किससे संबंधित है,अतः प्रपत्र **79** में कर की राशि को अलग-अलग जमा (Cr) एवं नामे (Dr) में दर्शाया जाना चाहिए ।

(x) प्रतिमाह कोषालयों से संभाग द्वारा Consolidated Treasury Receipt एवं Cheque Issue Certificate प्राप्त नहीं किया जाता है। फलतः संभागों द्वारा कोषालय को किए गए प्रेषण का नियमित पुनर्मिलान संभाग द्वारा नहीं किए जाने के कारण प्रेषण की कई पुरानी राशियाँ असमायोजित पड़ीं हुई हैं एवं संभाग द्वारा नियमित रूप से फार्म-**51** का प्रेषण नहीं किया जाता है ।

(xi) Petty Payment के संबंध में वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत लेखे में कई बार काफी बड़ी राशि दर्ज़ की जाती है ।

(xii) लेखों में संभाग का पता, दूरभाष तथा फ़ैक्स क्रमांक नहीं दर्शाया जाता है ।

कृपया उक्त कमियों की पुनरावृति न हो, इस हेतु समस्त संभागों को निर्देशित करें ।

(9) **<u>फार्म</u>**-51- **<u>कोषालय के साथ मासिक समाशोधन लेखा</u>** :-

संभाग द्वारा कोषालय को प्रेषित किए जा रहे चालान एवं जारी किए गए चेकों के निराकरण के संबंध में पुनर्मिलान, संभाग को कोषालय से CTR (Consolidated Treasury Receipt) एवं CIC (Cheque Issue Certificate) प्राप्त कर करना होता है एवं उसके आधार पर फ़ॉर्म-**51** तैयार कर केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की पैरा **22.4.15** के अनुसार संभागों द्वारा प्रत्येक माह मासिक लेखे के साथ संलग्न कर भेजा जाना चाहिए । लेखे के साथ फार्म-**51** संलग्न नहीं होने के कारण कितनी संख्या में धनादेश/चालान बैंक में प्रस्तुत किए गए, किन्तु कोषालय द्वारा **8782-102** के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया अथवा नहीं, की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तथा प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत संभागों द्वारा संकलित राशि के लंबित होने की संभावना रहती है । जिन संभागों द्वारा मासिक लेखा के साथ फार्म-**51** संलग्न नहीं किए जाते, उन संभागों की जानकारी को Annexure-D में दर्शाया गया है । संभाग द्वारा प्रेषित किए जा रहे फार्म-**51** में चालान एवं चेक की राशियाँ असमायोजित पड़ी हुई हैं,जिनमें से अधिकांश संभागों में राशियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं, जिनके निराकरण हेतु संभाग द्वारा विशेष रुचि नहीं ली जाती है, जबकि निराकरण संभाग द्वारा ही किया जाना है । इसकी जानकारी क्रमश: **Annexure-E-I** एवं **E-II** में दी गयी है । जिन संभागों से फ़ॉर्म-**51** प्राप्त हुआ है, उनके अनुसार वर्ष **2018-19** के दौरान समाशोधित न हुई राशियों का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार हैं **:-**

चालान के संबंध में	
असमायोजन के कारण	राशि (रुपयों में)
संभागों द्वारा चालान के माध्यम से प्रेषण की गयी राशि किन्तु राशि का संबंधित संभागों के अंतर्गत कोषालय में जमा नहीं होना।	**₹ 1,29,28,856**
कोषालयों द्वारा राशि का संभागों के विरुद्ध जमा बताना जबकि संभागों द्वारा इस राशि का प्रेषण न बताया जाना।	**₹ 2,93,69,362**

चेक के संबंध में	
असमायोजन के कारण	राशि (रुपयों में)
संभागों द्वारा जारी धनादेश किन्तु कोषालयों के अनुसार उनका भुगतान न होना।	**₹ 79,83,049**
कोषालयों द्वारा धनादेश का भुगतान होना जबकि संभागों के अनुसार उनके द्वारा इनका जारी नहीं किया जाना।	**₹ 8,03,760**

वर्ष के अंत में सामान्यतः कोई अंतर न हो, इसके लिए कार्यपालन अभियंताओं को मासिक लेखे में प्रेषण शीर्षों में संकलित राशि का मिलान कोषालय के अभिलेखों से किया जाकर प्रतिमाह प्रपत्र **51** मासिक लेखों के साथ संलग्न किए जाने तथा **Annexure-E-I** एवं **E-II** में दर्शायी गयी राशियों के समायोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया जावे ।

(10)**निर्माण लेखा प्रेषण शीर्ष में असमायोजित राशि ₹ 103.21 करोड़**:-

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा **22.3.1** के अनुसार संभागों द्वारा मासिक लेखों में लेखा शीर्ष **8782-102** में नामे तथा जमा की गई राशियों के मिलान कोषालय/बैंक से किया जाना चाहिए । परंतु संभाग द्वारा मिलान-कार्य नहीं किए जाने के कारण वर्ष **2018-19** के अंत तक इस शीर्ष में निवल राशि ₹ **103.21** करोड़ **(** जिसमें लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग भी शामिल हैं **)** समायोजन हेतु लंबित है ।

लंबित राशियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा संभागों से निरंतर पत्राचार किया गया, परंतु संभागों द्वारा इनके समाधान हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई । समीक्षा में पाया गया कि संभागों द्वारा चालानों पर सही प्रेषण शीर्ष **8782-102** अंकित न करने से तथा चालानों पर डी.डी.ओ.कोड अंकित न होने से, कोषालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण से अंतर की राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है । इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भी संभागों को चालानों की जांच कर त्रुटिपूर्ण शीर्ष अंकित पाये जाने पर संबंधित कोषालयों के माध्यम से सुधार मांग पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु इस दिशा में संबंधितों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसे शासन के ध्यान में लाया जाता है।

(11) **<u>निर्माण कार्य व्यय प्रपत्र</u>**<u>-64</u> :-

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा **22.4.6** के अनुसार संभागों द्वारा निर्माण कार्य पर किए गए व्यय की जानकारी को प्रपत्र**-64** में समिल्लित कर मासिक लेखों के साथ भेजा जाना चाहिए । प्रायः देखा गया है कि अधिकांश संभाग इसे यथा रूप से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं एवं संभागों द्वारा कई स्तंभों में जानकारी रिक्त छोड़ दी जाती हैं एवं प्रगामी व्यय में गत माह की प्रगामी व्यय की तुलना में विसंगति होती है। प्रपत्र में अपूर्ण प्रविष्टि के कारण कार्य विशेष आवंटन के विरुद्ध कितना व्यय किया गया एवं इसके वास्तविक आंकड़ें तथा कौन सा कार्य अपूर्ण है**(**Remarks Column No.10**)**, दृष्टिगत नहीं होते । प्रपत्र **-64** में वांछित जानकारी की यथास्थिति नहीं होने के कारण प्रत्येक निर्माण कार्य / परियोजना पर कितना व्यय अधिक/कम हुआ, की समीक्षा नहीं हो पाती ।

निर्धारित प्रपत्र**-64** के समर्थन में कार्यों की अनुमानित लागत **(**Estimated Cost of Work), कार्य प्रारंभ करने का दिनांक **(**Year/Date of Commencement) कार्य समाप्ति का दिनांक (Year/Date of Completion**)**, कार्य की भौतिक प्रगति **(**Physical Progress of Work), पुनरीक्षित लागत एवं पुनरीक्षण का दिनांक **(**Revised Cost and Date of Revision**)**, मद क्रमांक (Budget Item No.), भुगतान हेतु बकाया राशि **(**Pending Payment**)** का कॉलम खोल कर प्रविष्टि करने हेतु सभी कार्यपालन अभियंताओं को निर्देश जारी करें, ताकि राज्य वित्त लेखे में अपूर्ण कार्यों की जानकारी को त्रुटिरहित रूप से सम्मिलित किया सके।

भाग-दो (**लेखापरीक्षा**)

वर्ष **2018-19** में महालेखाकार (लेखापरीक्षा**)** छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा संभागों की लेखा-परीक्षा एवं स्थानीय स्तर पर देयकों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण Annexure-F (Statement I से Statement III तक) में दर्शाया गया है ।

हस्ता**/-**

वरिष्ठ उप महालेखाकार **(**लेखा**)**

Annexure-A

Outstanding Balance of Miscellaneous Public Work Advances

Form-70

As on 31.03.2019

(Refer to para-3)

(in Rs.)

Sl.no.	Name of the Division	Account code	Balance of 2017-18	Balance of 2018-19
1.	E.E. P.H.E (E/M.) Dn. Raipur	009	**5804509**	**5804509**
2.	E.E.P.H.E (E/M) Dn. Jagdalpur	010	**4677454**	**4677454**
3.	E.E.P.H.E Dn. Bilaspur	060	**16291085**	**16289201**
4.	E.E.P.H.E Dn. Korba	061	**3441291**	**3441291**
5.	E.E.P.H.E Dn. Raigarh	062	**9391757**	**9391757**
6.	E.E.P.H.E Project Dn.	064	**4837963**	**4837963**

	Raipur			
7.	E.E.P.H.E Dn. Raipur	066	**49779409**	**49779409**
8.	E.E.P.H.E Dn. Durg	067	**8427651**	**8427651**
9.	E.E.P.H.E Dn. Rajnandgaon	068	**34863923**	**30223505**
10.	E.E.PH.E. Dn. Jagdalpur	069	**58515793**	**58515793**
11.	E.E.P.H.E. Dn. Kanker	070	**15815174**	**15815174**
12.	E.E.P.H.E. Dn. Baikunthpur	073	**616520**	**616520**
13.	E.E.P.H.E. Dn. Janjgir Champa	088	**25601685**	**25528614**
14.	E.E.P.H.E. Dn. Dantewada	094	**1967836**	**1967836**
15.	E.E.P.H.E. Dn. Jashpur	096	**1431999**	**1431999**
16.	E.E.P.H.E. Dn. Dhamtari	097	**1865325**	**1779602**
17.	E.E.P.H.E Dn. Mahasamund	100	**53158**	**53158**
18.	E.E.P.H.E. (E/M) Dn. Bilaspur	102	**13623874**	**13623874**
19.	E.E.P.H.E. (E/M) Dn. Ambikapur	103	**284143**	**284143**
20.	E.E.P.H.E. Project Dn. Bilaspur	106	**33820**	**33820**
21.	E.E.P.H.E. (E/M) Dn. Rajnandgaon	107	**304905**	**304905**
22.	E.E.P.H.E. Dn. Baloda Bazar	112	**1500256**	**1500256**
23.	E.E.P.H.E. Dn. Balod	**114**	799164	**799164**
24.	E.E.P.H.E. Dn. Kondagaon	118	**30906**	**30906**
		TOTAL	**25,99,59,600**	**25,51,58,504**

Annexure-B

Outstanding Balance of Material Purchase Settlement Suspense Account

Form-69

As on 31.03.2019

(Refer to para-4)

(in Rs.)

Sl.no.	Name of Division	Account code	Balance of 2017-18	Balance of 2018-19
1.	E.E.P.H.E (E/M) Dn. Jagdalpur	010	**18632498**	**18632498**
2.	E.E.P.H.E Dn. Bilaspur	060	**16836118**	**16836118**
3.	E.E.P.H.E Dn. Korba	061	**13516885**	**13516885**
4.	E.E.P.H.E Dn. Raigarh	062	**12472713**	**12472713**

5.	E.E.P.H.E Dn. Rajnandgaon	068	**13181456**	**13181456**
6.	E.E.PH.E. Dn. Jagdalpur	069	**113185**	**113185**
7.	E.E.P.H.E. Dn. Kanker	070	**7226700**	**7226700**
8.	E.E.P.H.E. Dn. Janjgir-Champa	088	**46879**	**46879**
9.	E.E.P.H.E. (E/M) Dn. Rajnandgaon	107	**18101**	**18101**
10.	E.E.P.H.E. Dn. Narayanpur	110	**13480012**	**13480012**
		TOTAL	**9,55,24,547**	**9,55,24,547**

Annexure-C

LIST OF LATE SUBMITTED MONTHLY ACCOUNTS DURING THE YEAR 2018-19

(Refer to para-7)

Sl.	Name of Division	Account code	Month	Delay in days
1	E.E.P.H.E. (E/M) Dn. Raipur	09	10/2018	02
2	E.E.P.H.E. (E/M) Dn. Jagdalpur	010	10/2018 01/2019	05 05
3	E.E.P.H.E Dn. Bilaspur	060	10/2018 12/2018 01/2019	02 01 01
4	E.E.P.H.E Dn. Korba	061	04/2018 05/2018 07/2018 10/2018 12/2018	06 10 03 02 01

			01/2019 02/2019	01 01
5	E.E.P.H.E. Dn. Raigarh	062	10/2018 11/2018 12/2018 02/2019	02 01 06 02
6	E.E.P.H.E. Dn. Ambikapur	063	09/2018 10/2018	01 02
7	E.E.P.H.E. Project Dn. Raipur	064	12/2018	01
8	E.E.P.H.E Dn. Rajnandgaon	068	05/2018 10/2018 11/2018 01/2019 02/2019	01 09 04 01 01
9	E.E.P.H.E Dn. Jagdalpur	069	01/2019 02/2019 03/2019	02 01 02
10	E.E.P.H.E Dn. Kanker	070	05/2018 06/2018 08/2018 09/2018 10/2018 12/2018 01/2019 02/2019	02 03 02 02 09 01 02 04
11	E.E. P.H.E. Dn. Janjgir Champa	088	10/2018 01/2019	02 01
12	E.E. P.H.E. Dn. Dantewada	094	10/2018 02/2019	05 01
13	E.E.P.H.E Dn. Kabirdham	095	05/2018 06/2018 08/2018 10/2018 01/2019 02/2019 03/2019	02 03 01 03 02 01 09
14	E.E.P.H.E Dn. Jashpur	096	10/2018	03
15	E.E.P.H.E Dn. Dhamtari	097	08/2018 10/2018	01 03
16	E.E.P.H.E Dn. Mahasamund	100	06/2018 10/2018	01 03
17	E.E.P.H.E Dn. E/M Bilaspur	102	10/2018	07
18	E.E.P.H.E Project Div. Bilaspur	106	10/2018 11/2018 12/2018 01/2019	02 01 05 03

			02/2019	02
19	E.E.P.H.E Dn. E/M Rajnandgaon	107	01/2019	01
			02/2019	01
20	E.E.P.H.E. Dn. Narayanpur	110	10/2018	04
			02/2019	01
21	E.E. P.H.E. Dn. Bijapur	111	05/2018	01
			06/2018	02
			09/2018	02
			10/2018	03
			12/2018	01
			01/2019	01
			02/2019	02
			03/2019	03
22	E.E. P.H.E. Dn. Baloda Bazar	112	04/2018	01
			05/2018	02
			08/2018	04
			09/2018	01
			10/2018	06
			01/2019	01
			02/2019	04
23	E.E. P.H.E. Dn. GariyaBand	113	10/2018	04
24	E.E.P.H.E. Dn. Balod	114	04/2018	01
			08/2018	02
			09/2018	01
			10/2018	02
			11/2018	01
			02/2019	01
25	E.E.P.H.E. Dn. Surajpur	116	09/2018	01
			10/2018	12
			01/2019	04
26	E.E.P.H.E. Dn. Balrampur	117	08/2018	02
			10/2018	03
			01/2019	02
			02/2019	02
27	E.E.P.H.E. Dn. Kondagaon	118	10/2018	04
			01/2019	02
			03/2019	02
28	E.E.P.H.E. Dn. Mungeli	119	10/2018	02
29	E.E.P.H.E. Dn. Sukma	120	04/2018	01
			09/2018	01
30	E.E.P.H.E. Project Dn. Bemetera	121	05/2018	01
			10/2018	02
			11/2018	01
			02/2019	01

31	E.E.P.H.E. Project Dn. Jagdalpur	122	03/2019	02

Annexure-D

LIST OF DIVISIONS FROM WHERE FORM 51 IS AWAITED
As on 31-03-2019

(Refer to para-9)

Sl. No.	Name of the Division	Account code	Period	Months
01	E.E.P.H.E. Dn. Ambikapur	063	05/18 to 03/19	11
02	E.E.P.H.E. Dn. Proj. Raipur	064	11/18 to 03/19	05
03	E.E.P.H.E. Dn. Jagdalpur	069	04/18 to 03/19	12
04	E.E.P.H.E. Dn. Dantewada	094	04/18 to 03/19	12
05	E.E.P.H.E. Dn. Narayanpur	110	02/19 to 03/19	02
06	E.E.P.H.E. Dn. Bijapur	111	04/18 to 03/19	12

07	E.E.P.H.E. Dn. Baloda Bazar	112	04/18 to 03/19	12
08	E.E.P.H.E. Dn. Gariyaband	113	04/18 to 03/19	12
09	E.E.P.H.E. Dn. Balrampur	117	04/18 to 03/19	12
10	E.E.P.H.E. Dn. Proj. Bemetera	121	01/19 to 03/19	03
11	E.E.P.H.E. Dn. Proj. Jagdalpur	122	04/18 to 03/19	12

Annexure-E-I

DIVISION-WISE LIST OF NET UNADJUSTED AMOUNT OF FORM-51 AS ON 31.03.19

(Refer to para-9)

(in Rs.)

Sr. no.	Division Name	Code	Amount Remitted by Division but not acknowledged by Treasury	Amount Acknowledged by Treasury but not remitted by Division	Amount Remitted by Division but not acknowledged by Treasury	Amount Acknowledged by Treasury but not remitted by Division
			2017-18		2018-19	
1	E.E. PHE E/M Raipur	009	0	0	148641	0
2	E.E. PHE Dn.Bilaspur	060	65971	1997032	11358071	0

3	E.E. PHE Dn. Raigarh	062	144414	5047860	14200	59273
4	E.E. PHE Proj. Raipur	064	27864547	0		
5	E.E. PHE Dn. Raipur	066	0	0	0	28293916
6	E.E. PHE Dn. Proj. Durg	067	0	13442000	0	946364
7	E.E.PHE Rajnandgaon	068	26677202	30705318	0	0
8	E.E. PHE Dn. Korea	073	231277	14536	0	0
9	E.E. PHE Dn. Janjgir Champa	088	0	5626	499300	0
10	E.E.PHE Dn.Kabirdham	095	30	1303250	0	0
11	E.E. PHE Dn. Jahspur	096	0	0	0	0
12	E.E. PHE Dhamtari	097	0	0	0	0
13	E.E.PHE Mahasamund	100	0	0	80300	4500
14	E.E.PHE E/M Bilaspur	102	0	0	0	0
15	E.E. PHE Dn. Proj Bilaspur	106	52	221855	344	65309
16	E.E.PHE E/M Rajnandgaon	107	0	0	0	0
17	E.E. PHE Narayanpur	110	1193000	0	0	0
18	E.E. PHE Gariyaband	113	1965319	0	0	0
19	E.E.PHE Balod	114	9970	20261490	0	0
20	E.E.PHE Bemetera	115	0	0	0	0
21	E.E.PHE Surajpur	116	0	0	828000	0
22	E.E.PHE Kondagaon	118	0	0	0	0
23	E.E.PHE Sukma	120	0	0	0	0
24	E.E.PHE Proj Bemetera	121	0	0	0	0
TOTAL			**58151782**	**72998967**	**12928856**	**29369362**

टीप: जिन संभागों से जानकारी नहीं प्राप्त हुई हैउन्हें शामिल नहीं किया गया है ।

Annexure-E-II

DIVISION-WISE LIST OF NET UNADJUSTED AMOUNT OF FORM-51 AS ON 31.03.19

(Refer to para-9)

(in Rs.)

Sr. no.	Division Name	Code	Cheque issued by Division but not cleared at Treasury	Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division	Cheque issued by Division but not cleared at Treasury	Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division
			2017-18		**2018-19**	
1	E.E. PHE E/M Raipur	009	0	0	84133	0
2	E.E. PHE Dn.Bilaspur	060	360570	0	0	0

3	E.E. PHE Dn. Raigarh	062	8090	0	21619	0
4	E.E. PHE Dn. Ambikapur	063	1233182	0	0	0
5	E.E. PHE Dn. Proj. Raipur	064	15808	0	0	0
6	E.E. PHE Dn. Proj. Durg	067	524781	0	19615	0
7	E.E.PHE Rajnandgaon	068	5199891	0	0	0
8	E.E. PHE Dn. Kanker	070	342959	0	0	0
9	E.E. PHE Dn. Korea	073	250571	0	7452830	0
10	E.E. PHE Dn.Champa	088	1199251	0	161352	0
11	E.E.PHE Dn.Kabirdham	095	239337	258338	0	0
12	E.E. PHE Dn. Jahspur	096	8116457	0	0	803760
13	E.E. PHE Dn. Dhamtari	097	624985	0	0	0
14	E.E.PHE Mahasamund	100	-	-	13570	0
15	E.E. PHE Dn. E/M Bilaspur	102	4650	0	4100	0
16	E.E. PHE Dn. Proj Bilaspur	106	9808	0	0	0
17	E.E.PHE Narayanpur	110	302678	0	0	0
18	E.E.PHE Gariyaband	113	695552	488146	0	0
19	E.E.PHE Balod	114	116230	0	0	0
20	E.E.PHE Bemetera	115	-	-	0	0
21	E.E.PHE Surajpur	116	262198	0	150040	0
22	E.E.PHE Kondagaon	118	17528534	0	75790	0
23	E.E.PHE Sukma	120	-	-	0	0
24	E.E.PHE Proj Bemetera	121	608253	0	0	0
TOTAL			**37643785**	**746484**	**7983049**	**803760**

टीप: जिन संभागों से जानकारी नहीं प्राप्त हुई हैउन्हें शामिल नहीं किया गया है ।

<u>Annexure-F</u>

Statement-I

<u>Common types of Irregularities noticed in Central Audit on Works Division</u>

क्रं सं	कार्यालय का नाम	विषय	राशि	जावक क्रं. एवं दिनांक	रिमार्क
1.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, धमतरी	बी.आर.जी.एफ. योजना की बचत राशि जमा शीर्ष में अवरुद्ध रहना।	रु 17200002/-	19 / 15.11.2018	उत्तर अपेक्षित है
2.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, धमतरी	11 वें वित्त एवं 12 वें वित्त योजना की बचत राशि जमा शीर्ष में	रु 213821 /-	20 / 19.11.2018	उत्तर अपेक्षित है

		अवरुद्ध रहना।			

Statement-II

Details of Audit Notes and Inspection Reports Replies on Works Division (PHE)

SI no.	IR No./Date	Name of the Unit	Para Details in Summary/Amount (if any)	First reply received
1	14/27.04.18	EE, PHE Rajnandgaon	1- vlQy uydqiksa ds [kuu ij fu"Qy O;; jkf'k ₹ 4-90 djksM+A 2- vf/kd Ø; ds dkj.k Hk.Mkj esa jkf’k ₹ 3-76 yk[k ds lkefxz;ksa dk vuqi;ksxh gksukA 3- fMikftV fuekZ.k dk;Z ds varxZr Lohd`r dk;ksZ dk viw.kZ gksukA 4- vfHkys[k izLrqr ugh fd;k tkukA	No
2	28/08.10.18	EE, PHE Dhamtari	1. Bhakhara-Bhatheli Augmentation Water Supply Scheme.	No

			A. Non-completion of works even after expiry of stipulated period of completion and non-imposition of penalty amounting to ₹ 24.33 lakh. 2. Non-inclusion of supervision charge on deposit works. 3. Kurud Augmentation Water Supply Scheme. Non completion of work even after expiry of stipulated period of completion and non-imposition of penalty amounting to ₹ 17.94 lakh. 4. Construction of over head tank in the Piped Water Supply scheme for villages having population less than 2000(₹ 227.24 lakh) 5. Unfruitful expenditure on non operational of Iron Removal Plant (IRP) and Fluoride Removal Plant (FRP) ₹ 18.82 lakh. 6. Non-obtaining of Utilisation Certificates from GPs for amount of ₹ 52.37 lakh. 7. Review of allotment and expenditure. 8. Non-adjustment of advances shown in Miscellaneous Public Works Advance amounting to ₹ 18.65 lakh. 9. Unsuccessful drilling of tube wells.	
3	43/14.11.18	EE, PHE Balrampur	1. Excess withdrawal mounting to ₹3.79 lakh in GPF account of subscriber. 2. Irregular Purchase of Exercise Equipment amounting to ₹ 3.28 lakh. 3. Irregularities in procurement of stationaries under mid day meal scheme. 4. Difference between closing balance as per cash book and bank pass book ₹1.19 lakh. 5. Idle storage of uniform received under Ganves Vitaran Yojana. 6. Non-production of records.	No
4	50/30.11.18	EE, PHE Mahasamund	1. Baghbahra Augmentation Water Supply Scheme amounting to ₹1184.08 lakh. 2. Non-inclusion of supervision charges on deposit works. 3. Wasteful expenditure on non-operational Iron Removal Plant (IRP) ₹2.75 lakh. 4. Construction of over head tank in the Piped Water Supply scheme for	No

			villages having population 2000 (Rs. 137.34 lakh). 5. Non-obtaining of Utilisation Certificates from GPs for amount of ₹ 89.23 lakh. 6. Non-adjustment of advances shown in Miscellaneous Public Works Advance amounting ₹ 0.53lakh. 7. Shortage of manpower.	
5	59/20.12.18	EE, PHE Ambikapur	1% Hkkjr ljdkj }kjk fodflr bZ&izksD;ksjesaV iksVZy bZ&ekdsZVIysl ¼GeM@tse½ ls 'kkldh; mi;ksx gsrq lkefxz;ksa ds dz; gsrq jkT; 'kklu ds funsZ'k ds ckotwn vU; ek/;eksa ls lkefxz;ksa dk vfu;fer dz; fd;k tkuk : 297-32 yk[kA 2% uydwi [kuu gsrq foLr`r izkDdfyr ykxr rFkk [kuu dh okLrfod ykxr Li"V ugha gksuk rFkk o"kZ 2014&15 ,oa 2015&16 esa uydwiksa dh izfrLFkkiuk ij vf/kd ykxr : 886-02 yk[k 3 % jktLo O;; dh Js.kh ds O;; dks vfu;fer :i ls iwathxr O;; 'kh"kZ dks izHkkfjr fd;s tkus ls fuf/k dk nqfofuZ;kstu : 109-23 yk[k ,oa vkoaVu dh rqyuk esa vf/kd	No

			O;; fd;s tkus ls vfu;fer O;; : 8-18 yk[k 4 % cM+h ek=k esa inksa dk fjDr jgukA 5 % uydwi [kuu gsrq laHkkx esa dk;Zjr fjx e'khuksa ,oa lgk;d okguksa dks ?k.Vk@fdeh ds mi;ksx nj dk fu/kkZj.k ugha fd;k tkukA	
6	69/04.01.19	EE, PHE Korba	1. Review of Katghora Augmentation water supply scheme. 2. Irregular tendering and payment of ₹ 92.41 lakh. On installation of Rain water Harvesting system and suspected payment of ₹ 13.60 lakh on systems not installed. 3. Irregular purchase and execution of works without prescribed procedure ₹ 1.48 crore. 4. Diversion of fund from Chotiya GWSS to other Head ₹ 25 lakh. 5. Irregular Sanction and taking up of works costing ₹ 1.89 crore under State Disaster Response fund. 6. Unfruitful expenditure under different water schemes due to non-availability of water source amounting ₹ 1.32 crore. 7. Irregular tendering of PWS Schemes under NRDWP ₹ 3.44 crore. 8. Irregular expenditure incurred on Misc. work other than Deposit head under BRGF. 9. Unfruitful expenditure on installation of FRPs and IRPs amounting ₹ 2.79 crore. 10. Delay of execution of Deposit work under NTPC and diversion of fund ₹ 29.45 lakh regarding.	No
7	70/08.01.19	EE, PHE Raigarh	1. Review of Dharamjaigarh Augmentation Piped Water Supply Scheme Work done without revised Administrative Approval. -Blockade of Fund ₹ 62.71 Lakh. -Undue aid of ₹ 18.76 lakh to the contractor	YES

			due to non-adherence to the provisions of the agreement in preparing of break up payment schedule. -Delay in completion of the Water Supply Scheme. 2. Review of works of execution of Baramkela WSS. (a) Undue aid to contractor ₹ 10.79 lakh not following clause 15 of condition of contract. 3. Review of Saria Augmentation Piped water supply scheme. Workdone without Revised Administrative Approval. 4. Undue aid of ₹ 6.92 lakh under Pussore WSS for not following clause 15 of the agreement. 5. Non-receipt of upfront corpus fund from GPs for PWSS amounting ₹ 19.18 lakh. 6. Inadmissible expenses for tender premium from NRDWP funds amounting ₹ 12.18 lakh. 7. Irregular purchase of material without open tender regarding 8. Advances remaining unadjusted amounting ₹ 1.00 lakh.	
8	73/21.01.19	EE, PHE Sukma	1. Wasteful expenditure on non-operational Iron Removal Plant (IRP) ₹ 32.49 lakh. 2.Review of Piped Water Supply Scheme (PWSS). 3.Construction of over head tank in the Piped Water Supply scheme for villages having population 2000(Rs. 109.86 lakh). 4.Non-obtaining of Utilisation Certificates from GPs for amount of ₹ 6.40 lakh.	No
9	77/04.02.19	EE, PHE Mungeli	1. Review of Sargaon Augmentation Piped Water Supply Scheme 2. Implementation of Manki Piped Water Supply scheme under NRDWP. 3 Regarding execution of operation and maintenance work without tender. 4 Non remittance of unutilised funds and kept idle amounting to ₹ 63.38 lakh resulting blockage of money 5 Review of Patharia Augmentation Piped Water Supply Scheme 6 ftyk ySc esa vU; 'kkldh; laLFkkvksa@izk;osV laLFkkvksa ls ty ijh{k.k 'kqYd izkIr ugha fd,	No

			tkus ds laca/k esaA 7 Non utilisation of fund amounting to ₹ 71.37 lakh in the year 2012-13 and 2016-17. 8 Non production of records	
10	80/06.02.19	EE, PHE Durg	1: Blockade of fund of ₹ 5.94 cr. due to savings of funds/non-returning of these funds allotted for deposit work. 2 : Incorrect preparation of estimates of ₹ 67.73 lakh 3: Delay implementation of Ahiwara Augmentation Water Supply Scheme and non-imposition of penalty ₹ 18.61 lakh	No
11	81/07.02.19	EE, PHE Narayanpur	1: Non-installation of solar dual pumps despite releasing funds of ₹ 136.68 lakh to CREDA. 2: Non-operational Iron Removal Plant (IRP) (₹ 21.20 lakh) 3: Supervision charges not included in the estimates of deposit works (₹ 81.48 lakh). 4: Lack of drinking water facility in public places. 5: Shortage of Manpower	No
12	82/07.02.19	EE, PHE Dantewada	1% ou foHkkx }kjk ou Hkwfe ij dk;Z djus gsrq vuqefr fy;s fcuk ;kstuk ds varxZr dk;Z izkjaHk fd;s tkus ds dkj.k fdjUnqy vko/kZu ty iznk; ;kstuk ij fu"Qy O;; ₹ 241-23 yk[kA 2% lgk;d lkefxz;ksa ds fcuk ikbZi fcNk;k tkuk crk;s tkus ij dk;Z dk fdz;kUo;u A 3% dk;Z iwjk gksus ,oa vafre ns;d ds Hkqxrku fd;s tkus ckotwn jf{kr vfxze dh iw.kZ olwyh ugha fd;s tkus ls 'kklu dks gkfu ₹ 1-17 yk[kA 4% dk;Z ds Ldksi esa deh djus	No

			ds ckotwn Bsds dh vuqekfur ykxr esa deh ugha djus ds dkj.k vf/kd O;; ₹ 31-82 yk[kA ¼vuqca/k dzekad 66 Mh,y@2016&17½ 5% izxfr izfrosnu dh leh{kk esa ik;h x;h vfu;ferrk;sa 6 % [kfur uydwiksa esa 10 izfr'kr ls vf/kd vlQy uydwiksa ds gksus ij fu"Qy O;; jkf'k ₹ 50-40 yk[k	
13	83/11.02.19	EE, PHE Jagdalpur	1 Non-adherence to the provision of excess/above in construction after change in scope of work remitted in unnecessary expenditure of ₹ 130.19 lakhs. 2: Irregular award of additional works ₹ 84.04 lakh to contractor without following tender process. 3: Loss of revenue due to not levied supervision charges on deposit works ₹ 3.79 cr. 4: Excess payment of ₹ 13.63 lakh due to use of below grade concrete and security deposit ₹ 7.47 lakh not deducted 5: Non realization of revenue from the Kosarteda Rural Group Water Supply Scheme ₹ 33.93 Lakh	No

14	86/13.02.19	EE, PHE Bijapur	1. Unfruitful expenditure of Rs.1.73 crore on 13 RPWSS due to not providing domestic water connection to beneficiaries and Idle expenditure of Rs. 5.63 crore on 16 RPWSS due to poor utilization. 2. Fraudulent drawls of Rs. 19.46 lakh 3 (A) Construction of Bhopal- Pattnam-Ralapalli Group Water Supply Scheme-time and cost over run by Rs. 1.18 crore 3(B)- Excess payment of Rs. 43.39 lakh on balance quantity of pipe and incorrect mode of payment. Security advance not adjustedRs. 9.15 lakh 4. Undue benefit to contractors due to Not deducting performance Guarantee of Rs. 22.02 lakh. 5. Undue benefit to contractor due to non retained of Rs.10.45 lakh taken for testing. 6. Non recovery of Rs. 6.24 lakh due to below grade concrete 7. Excess payment to contractors of Rs. 11.19 lakh due to adoption of rate with excise duty 8. Create a liability of Rs. 22.29 lakh on division due to not stoping the deposit works as funds are made available.	No
15	88/14.02.19	EE, PHE Bemetara	1Avoidable extra cost of ₹ 2.65 crore on providing, laying, jointing, inter connection, testing and commissioning of ISI marked CI class LA Pipe instead of 80 mm dia DI K-7 pipe 2 Excess expenditure of ₹ 16.63 lakh on providing, laying, jointing, inter connection, testing and commissioning of 100 mm DI K-7 pipe instead of 80 mm dia K7 Pipe under Augmentation Piped Water Supply scheme of Nawagarh Nagar Panchayat. 3 Excess payment of ₹ 69.37 lakh to contractors under Bemetara and Maro Augmentation Pipe Water Supply Scheme. 4 Avoidable extra cost of ₹ 28.12 lakh on	No

			execution of excavation of CC Road 5 Implementation of Augmentation Piped Water Supply scheme of Nawagarh Nagar Panchayat. 6 Undue aid of ₹ 40.68 lakh to the contractor due to non-adherence to the provisions of the agreement 7 Delay in completion of work 8 Non utilisation of fund amounting to ₹ 2.33 crore in the year 2015-16 to 2017-18. 9 Non production of records	
16	122/20.02.19	EE, PHE Rajnandgaon	1. Extra cost on tubewell works ₹ 4.06 crore resulted not achieving physical targets. 2. Idle expenditure of ₹ 91.35 lakh on drilling of successful tube wells due to not installing of power/hand pumps. 3. Extra cost of ₹ 36.39 lakh on tube wells due to drilling by KLR-1100 rig maching with higher depth. 4. Laying key materials of tube well in store valuing ₹ 95.46 lakh. 5. ekuo “kfDr fu;kstu esa deh 6. Non-inclusion of supervision charges of ₹ 91.30 lakh on deposit works. 7. Excess expenditure of ₹ 3.95 lakh on deposit works.	No

SI. No.	IR No./Date	Name of the Unit	Para Details in Summary/Amount (if any)	First Reply Received
1.	69/04.01.19	EE, PHE Korba	1. Review of Katghora Augmentation water supply scheme. 2. Irregular tendering and payment of Rs. 92.41 lakh. On installation of Rain water Harvesting system and suspected payment of Rs. 13.60 lakh on systems not installed.	No
2.	83/11.02.19	EE, PHE Jagdalpur	1 Non-adherence to the provision of excess/above in construction after change in scope of work remitted in unnecessary expenditure of ₹ 130.19 lakh	No
3.	88/14.02.19	EE, PHE Bemetara	1. Avoidable extra cost of ₹ 2.65 crore on providing, laying, jointing, inter connection, testing and commissioning of ISI marked CI class LA Pipe instead of 80 mm dia DI K-7 pipe	No

Statement-III

Details of Audit Notes and Inspection Reports Replies on Works Division(PHE)